पत्रांक /Ref. No.: 1852 .... दिनांक /Date.: 16/03/2021

सार्वजनिक अधिसूचना / विज्ञप्ति

विषयः— रिट याचिका(पी.आई.एल)संख्या—33 / 2021 में मा0 उच्च न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 15 मार्च, 2021 के अनुपालन में सहायक अध्यापक (LT) के पद पर आवेदन का अवसर दिये जाने के संबंध में।

उपरोक्त रिट याचिका में कुछ अभ्यर्थियों की ओर से यह अनुरोध मा0 न्यायालय से किया गया है कि उन्होंने 31.01.2020 को CTET की परीक्षा दी थी व अब उसका परिणाम आ गया है अतः उन्हें भी सहायक अध्यापक (LT) के पद पर चयन आयोग द्वारा जारी विज्ञापन दिनांक 13.10.2020 में आवेदन पत्र भरने का अवसर दिया जाये।

मा0 उच्च न्यायालय द्वारा कोविड—19 संक्रमण से पिछले वर्ष आई कठिनाईयों के दृष्टिगत यह आदेश दिया गया है कि जो भी पात्र अभ्यर्थी आवेदन पत्र भरने से छूट गये हैं,उन्हें दिनांक 25.03.2021 आवेदन पत्र भरने व शुल्क जमा करने का अवसर दिया जाये।

उपरोक्त आदेशों के अनुपालन में आयोग द्वारा जारी विज्ञापन सं0—28 / उ.अ.से.च.आ. / 2021 दिनांक 13 अक्टूबर, 2020 में सभी विषयों में सभी पात्र अभ्यर्थी जो आवेदन करने से छूट गये है, को आवेदन का अवसर प्रदान किया जाता है। इसके लिए आवेदन की अंतिम तिथि को विस्तारित किया जाता हैः—

विज्ञापन प्रकाशन तिथि —	13 / 10 / 2020
ऑनलाइन आवेदन प्रारम्भ तिथि —	19 / 10 / 2020
ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि —	25 / 03 / 2021
परीक्षा शुल्क जमा करने की अंतिम तिथि—	27 / 03 / 2021

यह परीक्षा अप्रैल माह मे प्रस्तावित है व अब प्राप्त होन वाले आवेदनों की संख्या के अनुरूप परीक्षा हेतु स्थान अंतिम किये जायेंगे। अतः यह संभव है कि आवेदकों को उनके द्वारा चयनित परीक्षा केन्द्र उपलब्ध न हो। आयोग सीटों की उपलब्धता के अनुरूप परीक्षा केन्द्रों का आवंटन करेगा।

जो भी पात्र अभ्यर्थी है वे दिनांक 16 / 03 / 2021 से 25 / 03 / 2021 के मध्य आवेदन भर सकते है। सभी अभ्यर्थियों से अपेक्षा की जाती है कि वे शीघ्रताशीघ्र आवेदन भरने का कष्ट करें जिससे उनका आवेदन शुल्क जमा करने आवश्यक कठिनाईयाँ न हों।

इस अधिसूचना को आयोग की वेबसाइट पर आज ही प्रकाशित किया जाय तथा प्रेस नोट व संवाद पृष्ट के माध्यम से भी इसका प्रचार—प्रसार किया जाय।

आयोग की ओर से

(संतोष बड़ोनी)
सचिव

1. परीक्षा नियंत्रक, उत्तराखण्ड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग देहरादून।
2. अनुभाग अधिकारी, अधियाचन अनुभाग अधीनस्थ सेवा चयन आयोग देहरादून।
3. कम्प्यूटर प्रोग्रामर,(श्री अशोक नेगी) को इस आशय से कि कृपया विज्ञप्ति को आयोग की वेबसाइट पर प्रकाशित करने का कष्ट करें।
4. आयोग के वि0 अधिवक्ता श्री पंकज पुरोहित को इस अनुरोध के साथ कि मा0 न्यायालय को तद्नुसार सूचित करने का कष्ट करें।

(संतोष बड़ोनी)

सचिव